कार्यालय जनपद न्यायाधीश जौनपुर

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर स्थित समस्त कैण्टीन,पान,फल,चरबन व स्टेषनरी की दूकान, फोटोस्टेट की दूकान, वाहन स्टैण्ड तथा लाक–अप के पास स्थित एक गुमटी की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 22.03.2014 को 2–00 बजे दिन में परिसर स्थित सभागार में की जाएगी ।

नीलामी योग्य दूकानों आदि का विवरण उनके लिए न्यूनतम बोली की धनराशि एवं धरोहर की धनराशि निम्नवत् निर्धारित की गयी है :

क्रमांक	दूकान / ठेका का विवरण	न्यूनतम बोली की धनराशि	धरोहर / प्रतिभूति की धनराशि
1	2	3	4
1	कैण्टीन नं0 1	68,200—00	17,050—00
2	कैण्टीन नं0 2	1,10,000—00	27,500—00
3	कैण्टीन नं0 3	43,120—00	10,800—00
4	कैण्टीन नं0 6	54,450—00	13,600—00
5	पान की दूकान नं0 1	28,600—00	7,150—00
6	पान की दूकान नं0 2	23,100—00	5,800—00
7	पान की दूकान नं0 3	41,800—00	10,450—00
8	पान की दूकान नं0 4	14,300—00	3,600—00
9	पान की दूकान नं0 5	18,480—00	4,600—00
10	पान की दूकान नं0 6	23,980—00	6,000—00
11	फोटोस्टेट की दूकान (नया भवन)	1,55,100—00	38,800—00
12	चरबन की दूकान (नया भवन)	19,470—00	4,900—00
13	चरबन की दूकान (दक्षिणी)	20,790—00	5,200—00
14	फल की दूकान (नया भवन)	30,800—00	7,700—00
15	फल की दूकान (उत्तरी)	11,000—00	2,750—00
16	फल की दूकान (दक्षिणी)	37,620—00	9,400—00
17	स्टेशनरी की दूकान (नया भवन)	8,690—00	2,200—00
18	स्टेशनरी की दूकान (उत्तरी)	8,690—00	2,200—00
19	स्टेशनरी की दूकान (दक्षिणी)	8,690—00	2,200—00
20	वाहन स्टैण्ड न्याय भवन (एफटीसी)	1,59,500—00	40,000—00
21	वाहन स्टैण्ड (डी0एम0गेट)	3,61,900—00	90,500—00
22	गुमटी टाफी बिस्कुट आदि (लाकअप के पास)	5,000—00	1,250—00

उक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों / ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

1— बोलीदाता / प्रतिभागी के विरूद्ध विगत किसी वर्ष के संबंध में कोई धनराशि अवशेष नहीं होनी चाहिए ।

2— बोलीदाता / प्रतिभागी को दिनांक 15.03.2014 को दिन में 02 बजे तक ऊपर स्तम्भ–4 में अंकित धनराशि बतौर प्रतिभूति / धरोहर नकद रोकड़ के रूप में नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा ।

3— बोलीदाता / प्रतिभागी को धरोहर / प्रतिभूति की धनराशि के साथ दिनांक 15.03.2014 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास, हैसियत एवं चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापित फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करना होगा । इसके साथ ही प्रतिभागी को नोटरी शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में किसी दण्डनीय

अपराध के सम्बन्ध में विचारण नहीं चल रहा है एवं उसे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित अथवा दोषसिद्ध नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध किसी पुलिस थाना में पंजीकृत अभियोग की विवेचना लम्बित नहीं है ।

4— प्रत्येक दूकान के सम्बन्ध में अन्तिम बोली/नीलामी की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014—15 के दौरान 4 समान भागों में प्रत्येक त्रैमास में देय तिथि यानी 01.04. 2014, 01.07.2014, 01.10.2014 तथा 01.01.2015 से एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा । यदि स्वीकृत बोलीदाता द्वारा दूकान का परिचालन प्रारम्भ न करके वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी धरोहर राशि राज्यसात् करके द्वितीय प्रतिभागी को प्रतिष्ठान परिचालन की अनुज्ञा दे दी जाएगी ।

5— अन्तिम बोली/नीलामी के प्रथम भाग में धरोहर की सम्पूर्ण धनराशि समायोजित कर ली जाएगी किन्तु प्रथम भाग के सापेक्ष धरोहर की धनराशि कम होने की दशा में प्रतिभागी को अन्तर की धनराशि, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में जमा करना अनिवार्य होगा ।

6— अन्तिम बोलीदाता/प्रतिभागी सम्पूर्ण नीलामी की धनराशि स्वेच्छया एकमुश्त जमा कर सकता है किन्तु ऊपर कमांक 3 पर अंकित शर्तो में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

7— नीलामी की अन्तिम स्वीकृति के उपरांत संबंधित बिडर/ठेकेदार को निम्नांकित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा—

1—ठेकेदार को नियमानुसार जनरल स्टैम्प पर एक अनुबन्धपत्र निष्पादित करना होगा ।

2—किसी ठेकेदार को नीलामी में स्वीकृत दूकान संचालित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा ।

3—दूकानदार को विकय योग्य प्रत्येक सामान की मूल्यसूची दूकान पर प्रदर्शित करना होगा और जनपद न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सामान का विकय करना होगा ।

4—दूकान का संचालन अस्थायी निर्माण पर किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में ठेकेदार को अपने व्यय पर दूकान स्वयं हटाना होगा अन्यथा दूकान हटाने में होने वाले व्यय की वसूली दूकानदार से की जाएगी ।

5—दूकानदार को बिजली एवं पानी की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी तथा दूकान के चारों ओर सफाई व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी ।

6—संबंधित दूकान के संबंध में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान दूकानदार को स्वयं करनाहोगा ।

7—दूकान पर उपलब्ध सामग्री स्वास्थ्यप्रद एवं अच्छी गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए ।

8—उपर्युक्त कमांक 4 में दर्शायी गयी अवधि में देय धनराशि जमा न किए जाने की दशा में संबंधित दूकान बन्द करा दी जाएगी तथा वसूली की कार्यवाही नियमानुसार बकाया राजस्व के रूप में की जाएगी ।

9-उपर्युक्त नीलामी के द्वारा किसी दूकान/ठेके की अनुज्ञा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने अथवा संशोधित करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश जौनपुर को होगा ।

(बुद्धिराम)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट नं0 4
जौनपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1-जिला सूचना अधिकारी जौनपुर को विज्ञप्ति बतौर न्यूज आइटम निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु ।
2-एन0आई0सी0 को राजकीय बेबसाईट पर अंकित करने हेतु ।
3-नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय जौनपुर
4-नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट जौनपुर
5-नोटिस बोर्ड जिला पंचायत जौनपुर
6-नोटिस बोर्ड नगरपालिका परिषद जौनपुर
7-नोटिस बोर्ड जिला चिकित्सालय जौनपुर
8-नोटिस बोर्ड लोक निर्माण विभाग जौनुर
9-बस स्टेशन जौनपुर
10-रेलवे स्टेशन जौनपुर

(बुद्धिराम)
प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट नं0 4
जौनपुर